उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

पत्रॉक–38098–101 /वसूली अभियान/17–18 दिनांकः 29.04.17

महत्वपूर्ण

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–06/वसूली/2017–18 दिनॉक 12.04.2017 द्वारा विषेश वसूली अभियान के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये थे, तथा आप सभी से अपेक्षा की गई थी कि वसूली के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही करते हुए वसूली सुनिश्चित करेगें।

प्रदेश की दिनॉक **23.04.2017** तक वसूली आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश स्तर पर वसूली गत वर्ष की तुलना में रू0 **–206.88 करोड़** से पीछे है, तथा प्रदेश की अधिकांश शाखाओं की वसूली गतवर्ष की तुलना में पीछे है। यह स्थिति बहुत ही गम्भीर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाखाओं द्वारा वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है और ऋणी सदस्यों से प्रतिदिन सम्पर्क भी नहीं किया जा रहा है, जो कि खेदजनक है।

आप सभी को पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है शाखाओं पर कार्यरत समस्त स्टाफ अपना मुख्यावास शाखा स्तर पर ही बनायेगें, परन्तु संज्ञान में आया है कि कुछ कार्मिकों द्वारा अभी तक अपना मुख्यावास नहीं बनाया गया है, तथा कतिपय कार्मिक उच्चाधिकारियों से अवकाश स्वीकृत कराये बिना ही अवकाश पर एवं मुख्यावास से बाहर चले जाते है, जो घोर अनुशासनहीनता है, उक्त कारणों से भी बैंक की वसूली प्रभावित होती है।

अतएव उक्त स्थितियों के दृष्टिगत शाखा स्तर पर कार्यरत समस्त स्टाफ को यह निर्देशित किया जाता है कि **अधोहस्ताक्षरी के बिना अनुमति के शाखा स्तर पर कार्यरत कोई भी कार्मिक वसूली अभियान तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर नहीं जायेगें। साथ ही कोई भी कार्मिक मुख्यावास से बाहर रहने की अनुमति लिये बिना मुख्यावास से बाहर नहीं जायेगें।** उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, यदि उक्त निर्देशों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं और यह भी सुनिश्चित कराएं कि उनके पर्यवेक्षणाधीन शाखाओं के समस्त कार्मिक निर्धारित समय पर वसूली हेतु क्षेत्र में भ्रमण पर चले जाएं और उनके द्वारा पूर्ण मनोयोग से वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जाए।

2–मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को सूचनार्थ।

3–उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ह0/–
(ए0के0 शुक्ला)
महाप्रबन्धक(वसूली)